बिहार विधान सभा सचिवालय

सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा संबंधी

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–01/2023

1. बिहार विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत सुरक्षा संवर्ग में सुरक्षा प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित **690** अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा का आयोजन दिनांक **24.08.2025 से 26.08.2025** तक **"जगजीवन स्टेडियम, दानापुर रेलवे स्टेशन, एफ.ओ.बी., खगौल, दानापुर, पटना–801105"** में निम्न कार्यक्रमानुसार पुनर्निर्धारित किया गया है:–

Reporting Time : 06:00 AM

Old Exam Date	New Exam Date	Gender
11-08-2025 (Monday)	24-08-2025 (Sunday)	Male Candidates
12-08-2025 (Tuesday)	25-08-2025 (Monday)	Female Candidates
13-08-2025 (Wednesday)	26-08-2025 (Tuesday)	Reserve

2. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने का लिंक बिहार विधान सभा की वेबसाईट ***https://vidhansabha.bihar.gov.in*** पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, उन्हें पुनः प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। **शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा के लिए पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र मान्य होगा। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।**

अभ्यर्थियों को डाक से (By Post) प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

3. अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र पर अंकित सभी अनुदेशों का अवश्य अध्ययन करेंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
4. शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने शारीरिक जाँच/दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र, वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे।
5. परीक्षार्थी प्रवेश–पत्र में दिए गए समय का निश्चित रूप से अनुपालन करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।
7. अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
8. यदि किसी कारणवश परीक्षा विलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
9. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा का समय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर आने–जाने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।

> कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या–0612–2215709 तथा ई–मेल : secretarybvs@gmail.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

20/8/25

अवर सचिव

बिहार विधान सभा सचिवालय